

# ग्रामीण महिला विकास संस्थान



## वार्षिक प्रतिवेदन

2006 - 2007





# झलकियां



वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान से डा. हेलन आर शेखर एवं बाल श्रमिक परियोजना संस्था, अजमेर के परियोजना निदेशक श्री एल. एन. जोशी वि. वा. श्र. वि. नौलखा का अवलोकन करते हुए।



श्रीमती सरिता गैना जिला प्रमुख स्वयं सहायता समूह महिला को ऋण चेक प्रदान करते हुए।



श्री आशीष कुमार तिवारी, संस्थान कार्यक्रम अधिकारी वि. वा. श्र. विद्यालय के बच्चों को अल्पाहार वितरण करते हुए।



श्रीमती प्रजा पालीवाल गोड निदेशक क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, जयपुर महिलाओं को पुरस्कृत करते हुए एवं साथ में श्री अनुभव चैरवा क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार अधिकारी अजमेर।



RCDSSS से सिस्टर रुफीना अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सम्बोधन देते हुए एवं मंच पर विराजमान अतिथिगण।



RCDSSS से श्री सुनिल टांक ग्रामवासियों की बेहतर स्वास्थ्य के महत्व पर जानकारी प्रदान करते हुए।




अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने एकत्र हुई संस्थान कार्यक्षेत्रों की महिलाएँ।



स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ बर्मी कम्पोस्ट निर्माण प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए एवं साथ में उन्हे मार्गदर्शित करते हुए संस्थान सचिव श्री शंकर सिंह रावत।





## अध्यक्ष की ओर से ...



हमारी संस्था की बुनियाद एक सपने से गढ़ी हुई थी। सपना उन सब बातों का, जो पहले नहीं देखी गईं। हमारा सपना उपजा था उस असन्तोष से जो वर्तमान विकास विकल्पों ने पनपाया है। विकल्प भी ऐसे जो मुट्ठी भर धनी और शक्तिशाली लोगों की मनचाही इच्छा की पूर्ति करते हैं, जिसकी क्रीमत चुकाते हैं असंख्य गरीब।


हमें लगा कि आम आदमी की सीधी मदद पहुंचाने वाली किसी भी विकास गतिविधि का उद्देश्य होना चाहिए- सतत् आजीविकाओं का निर्माण। सतत् आजीविका व्यक्ति को रोजी-रोटी देने के अलावा उसके जीवन को एक अर्थ देती है और उसका खोया हुआ स्वाभिमान लौटाती है।

यही वह चिन्तन था, जिसके फलस्वरूप दस वर्ष पहले ग्रामीण महिला विकास संस्थान का जन्म हुआ। हमारा उद्देश्य था ऐसी गतिविधियां चलाना, जिससे सतत् आजीविका का सृजन हो, जो हमें विकास की ओर अग्रसर करे। हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते हैं, जो निजी वर्ग की कम्पनी की तरह प्रभावशाली हो, एक स्वयंसेवी संगठन की तरह सामाजिक उद्देश्य रखती हो तथा सरकार की तरह जिसकी गहरी पैठ हो।

संस्था द्वारा अजमेर जिले की तीन पंचायत समितियों के ग्रामों में समग्र विकास के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं उन्हें यह वार्षिक प्रतिवेदन दर्शाता है।

संस्था के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत व लगन के कारण ही संस्था प्रभावी कार्य कर सकी।

मैं संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

  
( अनिल कुमार माथुर )

अध्यक्ष





## सचिव की क़लम से ...

प्रत्येक वर्ष प्रगति प्रतिवेदन का अंक सहर्ष तैयार कर आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरे लिए किसी बड़े यज्ञ को सम्पन्न करने से कम नहीं रहता।

प्रत्येक पंक्तियों में संस्थान की गतिविधियाँ, जिन्हें सम्पादित करने में संस्था परिवार के सदस्यों का दिन-रात का प्रयास और विभिन्न सम्पादित कार्यों एवं उपलब्धियों को सश्रम हासिल करने में बहे उनके पसीने की महक मुझे सर्वदा उन पर गर्व करने हेतु प्रेरित करती है। यह प्रतिवेदन भी उनके अटूट मनोबल व सेवा भाव से हासिल किये गये परिणामों को दर्शाने में सहायक सिद्ध होगा, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है।

छोटे से गाँव से शुरूआत, मुट्ठी भर दोस्तों का साथ, ताक़त के नाम पर सिर्फ़ बड़े बुजुर्गों का अशीर्वाद, लेकिन मन में गाँवों में खुशियों की आस व ग्रामवासियों के चेहरों पर मुस्कान का सपना लिए फिरते रहना, भले ही यह कल की बात थी, लेकिन निकटतम सहयोगी संस्थाओं मुख्यतः ज़िला प्रशासन, ज़िला परिषद, नाबार्ड, कपार्ट, अरावली, आर.सी.डी.एस.एस.एस. आदि के विशिष्ट प्रतिनिधियों द्वारा लगातार मिल रहे मार्ग-दर्शन एवं सहयोग से आज वो सपना एक आकार लेता हुआ दिखता है।

अकाल की भीषण विभीषिका के बावजूद संस्था कार्यक्षेत्र के ग्रामों में स्थितियाँ अनियन्त्रित नहीं हैं, समूह से महिलाएं सशक्त हुई हैं व लोगों ने अकाल जैसी त्रासदी के साथ भी लड़ना सीख लिया है। सरकारी योजनाओं से जुड़े कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हुए मुस्कुराने की हिम्मत जुटाई है व पलायन पर रोक लगी है। जहाँ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वहीं ग्रामों के बाल श्रमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े हैं, ये सभी कुछ ग्रामवासियों के प्रयासों व जन प्रतिनिधियों द्वारा निरन्तर प्रदान किये गये सहयोग के बिना सम्भव नहीं था।

2020 तक विकसित भारत के सपने को यथार्थ बनाने में सरकार के प्रयासों के साथ-साथ संस्थाओं की भी अग्रणी भूमिका है, अपने कार्यक्षेत्रों के समग्र विकास के लिए हमारे उत्तरदायित्वों का हमें भी बोध है, जिसको निभाने के लिए हम निरन्तर प्रयत्नशील हैं व बुलन्द हौसलों के साथ आगे बहुत कुछ करने की इच्छा हृदय में संजोये हैं।

आप लोगों के स्नेह व मार्ग-दर्शन में हमने बेहतर परिणाम पाये हैं, यह प्रतिवेदन उनका प्रतिबिम्ब मात्र है।

हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा, जिससे संस्था निरन्तर अपने विकासशील लक्ष्यों को प्राप्त कर सकने में सफल सिद्ध होगी।

( शंकर सिंह रावत )  
सचिव



# ग्रामीण महिला विकास संस्थान - बूबानी, अजमेर (राज.)

प्रगति रिपोर्ट : वर्ष 2006-2007



## संस्थान कार्यक्षेत्र एवं पृष्ठभूमि

ग्रामीण महिला विकास संस्थान एक गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था है, जो कि राजस्थान पंजीकरण अधिनियम-1958 की धारा 28 के तहत, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 12ए 'ए' व 80-जी के तहत एवं एफ.सी.आर.ए. एक्ट 1976 के तहत पंजीकृत है।

संस्था का पंजीयन कार्यालय ग्राम बूबानी (अजमेर) में एवं मुख्य कार्यालय मदनगंज-किशनगढ़, जिला-अजमेर एवं क्षेत्रीय कार्यालय ग्राम भिनाय, जिला-अजमेर (राजस्थान) में स्थित है।

राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के श्रीनगर, सिलोरा एवं भिनाय पंचायत समितियों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर वर्षा का अभाव है। पिछले 6-7 वर्षों से लगातार अपर्याप्त वर्षा के कारण अकाल की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र का पेयजल स्तर निरन्तर घटता जा रहा है और पेयजल समस्या ने गम्भीर रूप ले लिया है। अकाल रूपी दानव ने गाँवों में हाहाकार मचा रखी है। इसका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव प्रकृति एवं पशुधन पर पड़ा है, जिससे प्रकृति एवं पशुधन की अत्यधिक हानि हुई है एवं मानव जीवन पूर्णरूपेण प्रभावित हुआ है।

यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। वर्षा की कमी से कृषि कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है और बिना कृषि उत्पादन के पशुपालन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, जिसका दुष्प्रभाव लोगों की आजीविका पर पड़ा है व उनका आर्थिक संकट बढ़ा है, परिणामतः आजीविका के लिए लोग अपने गाँवों से पलायन कर रहे हैं, बालश्रम में बढ़ोतरी होती जा रही है। फूल से नन्हे बच्चों का बचपन प्रभावित हो रहा है, वे सभी पढ़ाई से वंचित होते जा रहे हैं।

क्षेत्र में बाल विवाह, निरक्षरता, बालिका शिक्षा की समस्या भी बनी हुई है। लिंग भेद की स्थिति भी है। लोग लड़की के बजाय लड़कों को पढ़ाते लिखाते हैं और उनको अन्य कामों में सहभागी बनाते हैं। पुरुष प्रधान समाज होने से क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता नगण्य है। वह स्वतन्त्र रूप से निर्णय नहीं ले सकती तथा विकास की गतिविधियों में भी सहभागी नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्याओं से निजात पाने एवं समाज में व्याप्त विषमताओं पर नियन्त्रण पाने के लिए संस्था विगत 9-10 सालों से प्रयासरत है तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम उन्मूलन, बालिका शिक्षा, पर्यावरण, उन्नत कृषि तकनीक, अकाल राहत रोजगार मुहैया कराने आदि पर संस्था अपने अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ निरन्तर प्रयासरत हैं। उक्त कार्यों में विभिन्न संस्थाओं का आर्थिक सहयोग एवं मार्ग-दर्शन मिल रहा है, जिनका नाम आगे वर्णित है।





## विज्ञान

ऐसे सशक्त समाज की स्थापना जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हों।

## मिशन

मानवीय व प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग से आगामी 5 सालों में अजमेर ज़िले में पिछड़े, अभावग्रस्त एवं गरीब समाज एवं महिला वर्ग को सशक्त व आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना व वंचित वर्ग खासकर महिलाओं के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना।

## संस्था के उद्देश्य

- समस्याग्रस्त गाँवों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करने में गाँव वालों की मदद करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें अच्छा स्वास्थ्य बनाये रखने में मदद करना एवं मातृ-शिशु कल्याण कार्यक्रम को गाँव-गाँव तक पहुंचाना।
- महिला विकास में ग्रामीण महिलाओं की रुचि पैदा करना तथा महिला कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए महिला मण्डल एवं महिला गोष्ठियों का आयोजन करना।
- कृषि एवं पशुपालन के लिए ग्रामीणों को आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक पैदावार एवं बेहतर पशुपालन में उनकी समस्याओं को कम करने में मदद करना।
- ग्रामीण दस्तकारों को बढ़ावा देने में सहयोग एवं रोजगार उपलब्ध कराना।
- राजस्थान या राजस्थान के बाहर स्थित संस्थाओं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बूबानी जैसा होगा, उनसे सहयोग प्राप्त करना व देना एवं गतिविधियों में तालमेल बनाये रखना।
- पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए पेड़-पौधों के महत्त्व पर जागरूकता प्रदान करना।
- भूमि कटाव को रोकने हेतु मेढ़बन्दी।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- महिला व बाल विकास कार्यक्रम का संचालन व लोगों की जागरूकता बनाये रखना।
- संस्था के उद्देश्य एवं कार्यकलापों को प्रचारित करना, किताबों का मुद्रण एवं प्रकाशन तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना।
- ग्रामीण दस्तकारी को बढ़ावा देने में सहयोग करना, क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नियमानुसार ऋण प्राप्त करना।



# सोशल मोबिलाइजेशन परियोजना (SMP)

## परियोजना क्षेत्र

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सहयोग एवं अरावली, जयपुर के मार्ग-दर्शन में अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति की 15 ग्राम पंचायतों के 23 ग्रामों में सोशल मोबिलाइजेशन परियोजनान्तर्गत 45 स्वयं सहायता समूह गठित कर निम्न प्रमुख गतिविधियाँ संचालित की गईं, जिनके अन्तर्गत निम्न से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किये गये-

कुल ग्रा.पं.	कुल ग्राम	कुल समूह	कुल सदस्य	BPL	APL	SC	ST	OBC	अन्य	कुल बचत	कुल ऋण	R.F.
15	23	45	497	362	135	116	6	335	40	10,02,200	40,01,000	14,35,000

## परियोजना लक्ष्य

प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन द्वारा सामाजिक संगठनों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन हेतु परियोजना का केन्द्रीय लक्ष्य है।

## परियोजना का उद्देश्य

- आजीविका को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन हेतु महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करना।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना।
- प्राकृतिक संसाधन के आधार को बेहतर बनाकर एवं महिलाओं की कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए आजीविका के विभिन्न विकल्पों तक पहुँच बढ़ाकर उनके आर्थिक स्तर को सुदृढ़ करना।
- परिवार एवं समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
- महिलाओं के मुद्दों को विभिन्न स्तरों पर उठाने हेतु जिले स्तर पर मंच बनाने के लिए सहयोग करना।
- महिलाओं की सरकारी एवं पंचायतीराज के कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना।
- महिला समूहों का एक आदर्श मॉडल प्रदर्शित करना।







## लक्षित समूह

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले निर्धन एवं वंचित समुदाय के 45 महिला समूह।

## रणनीति

इस परियोजना के अन्तर्गत अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति के 23 गाँवों में संचालित 45 महिला स्वयं सहायता समूहों को लक्षित किया गया है। गरीबी कम करने एवं आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक संगठन की निम्न रणनीति अपनाई गई-

- आजीविका के बेहतर विकल्पों के द्वारा महिलाओं की आमदनी बढ़ाना।
- महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति संगठित करना।
- परियोजना महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दों- महिलाओं के अधिकार, प्रजनन-स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा एवं जेण्डर सम्बन्धी अन्य मुद्दों पर भी कार्य करने का प्रयास करेगी।

## SMP परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ

### क्षमता वर्द्धन

परियोजना कार्यक्षेत्र के 23 ग्रामों में 45 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनका सशक्तिकरण किया गया।



### विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरुकता शिविर आयोजन

क्र. सं.	प्रशिक्षण	कुल समूह	लाभार्थी
1.	वर्मी कम्पोस्ट	35	40
2.	उन्नत पशुपालन	30	210
3.	कृषि व कौशल	45	240
4.	आजीविका प्रशिक्षण (सिलाई)	2	40
5.	स्वास्थ्य	35	245
6.	रिकॉर्ड संधारण	45	90
7.	सर्फ, फैन्सी मालाएं, साबुन, अगरबत्ती	10	75



## आय संवर्द्धन गतिविधियाँ

अब तक 41 महिला स्वयं सहायता समूहों को परियोजना के माध्यम से 35,000/- रुपये प्रति समूह के हिसाब से  $35,000 \times 41 = 14,35,000/-$  रुपये लघु वित्त सहयोग राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे आय संवर्द्धन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने में उन्हें अधिक सहयोग मिल सके।

## महिला सशक्तिकरण एवं जेण्डर के प्रति जागृति

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 9 मार्च, 2007 को महिला दिवस समारोह के रूप में मनाया गया, जिसके अन्तर्गत ग्राम बूबानी में विशाल समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आस-पास के परियोजना क्षेत्र के 23 ग्रामों में से करीब 650 महिलाओं ने भाग लिया। समारोह में मुख्य अतिथि आर.सी.डी. समाज सेवी संस्था की सिस्टर रूफीना व समारोह की अध्यक्ष अरुणिमा सेवा संस्थान की श्वेता राठौड़ थीं। कार्यक्रम में यूनियन बैंक शाखा-गगवाना के शाखा प्रबन्धक, महिला सुरक्षा केन्द्र, अजमेर की रीया राठौड़, अजयमेरु महिला संघ की अध्यक्ष रतना देवी आदि ने अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए। समारोह में शराबबन्दी, महिला अत्याचार, घरेलू हिंसा एवं पानी के मुद्दे छाये रहे। इसके अलावा समारोह में ज्ञापन तैयार किये गये एवं महिलाओं को एकता का सन्देश दिया। इस अवसर पर अरावली संस्थान, अजमेर के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने सामाजिक सुरक्षा योजना, वीमो सेवा की जानकारी दी। तत्पश्चात् महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी निभाई गई व उन्हें पुरस्कृत किया गया।

## लोक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव

इस परियोजना के माध्यम से संचालित समूहों के सदस्यों की पात्रता को मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित योजनाओं से लाभ दिलवाया गया-


क्र. सं.	योजना का नाम	लाभार्थी सदस्य संख्या
1.	विधवा पेन्शन योजना	15
2.	इन्दिरा आवास योजना	2
3.	मेडिकल कार्ड योजना	8
4.	राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता	5
5.	जलग्रहण योजना	85
6.	खेत तलाई योजना	5
7.	प्रसूति सहायता योजना	10
8.	किसान क्रेडिट कार्ड	15
9.	वृद्धा पेन्शन योजना	7
10.	वीमा सेवा योजना (बीमा)	274





## शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से गठित बाल श्रमिक परियोजना संस्था, अजमेर के सहयोग एवं मार्ग दर्शन से ग्रामीण महिला विकास संस्थान पिछले 7 वर्षों से बाल श्रमिक परियोजना के तहत विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का सफल संचालन कर रहा है। इन विद्यालयों में उन बाल श्रमिकों को शामिल किया जाता है, जो 9 से 14 वर्ष की आयु में उद्योग धन्धों यथा- खान, पत्थर तुड़ाई, पाँवरलूम (गोटा कारी), होटल, रेस्टोरेण्ट, ढाबे, आरातारी आदि से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे बच्चों को वहाँ से हटाकर इन विद्यालयों में जोड़कर उनकी उम्र एवं स्तर के अनुसार 3 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा देते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है।



### शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव

3 वर्षों में इन बच्चों के साथ अध्यापकों द्वारा पूरा ध्यान आकर्षित कर इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है। साथ ही इन बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित सरकारी विद्यालयों, प्रशासन एवं परियोजना स्टाफ द्वारा फॉलो-अप योजना का निर्माण किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों से सम्पर्क कर उसकी प्रगति को अवगत कराना एवं छात्र-छात्रा की नियमित उपस्थिति हेतु चर्चा की जाती है। साथ ही सरकारी विद्यालय में जाकर बच्चों की गतिविधियों पर अध्यापकों की सलाह ली जाती है एवं उपस्थिति व प्रगति का अवलोकन भी किया व कराया जाता है।





संस्थान द्वारा 12 जून, 2006 से संचालित 4 विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का सफल संचालन किया जा रहा है। इनका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है -



### नामांकन 12 जून, 2006 से वर्तमान तक

क्र. सं.	संचालित विद्यालय	बालक	बालिका	योग	SC			ST			OBC			General		
					B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	मुहामी	28	22	50	2	2	4	-	-	-	26	20	46	-	-	-
2.	नौलखा	35	15	50	1	2	3	2	1	3	32	12	44	-	-	-
3.	गेगल	19	31	50	-	-	-	-	-	-	7	9	16	12	22	34
4.	किशनगढ़	23	27	50	1	3	4	-	-	-	4	7	11	18	17	35
	योग	105	95	200	4	7	11	2	1	3	69	48	117	30	39	69

### संस्थान द्वारा शिक्षा के साथ-साथ निम्न गतिविधियाँ भी सम्पादित कराई जाती हैं-

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. मासिक अभिभावक बैठकें | 6. राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियाँ आयोजन |
| 2. स्वास्थ्य परीक्षण    | 7. नियमित निरीक्षण                    |
| 3. व्यावसायिक शिक्षा    | 8. जनश्री बीमा योजना से जुड़ाव        |
| 4. प्रतिदिन पोषाहार     | 9. स्टाइफण्ड                          |
| 5. मासिक मूल्यांकन      | 10. खेलकूद                            |

### 1. मासिक अभिभावक बैठकें

विद्यालय में प्रतिमाह अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है। इससे शिक्षा के साथ-साथ गाँव की अन्य समस्याओं पर भी बातचीत की जाती है तथा बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से रोकने पर प्रयास कर उन्हें सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से अवगत भी कराया जाता है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से पृथक कर शिक्षा की ओर ज़ोर देना तथा यह जानकारी देना कि जोखिमपूर्ण कार्य करवाने से मालिक को 20 हजार रुपये जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं आदि शामिल हैं।

### 2. स्वास्थ्य परीक्षण


बाल श्रमिक विद्यालयों के बच्चों का प्रतिमाह नियमित रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्र ANM या सरकारी डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। इसके तहत बच्चों का वज़न, ऊँचाई, खून की जाँच, आँखों की जाँच, विटामिन ए का घोल तथा दवाइयाँ देकर उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं।





### 3. व्यावसायिक शिक्षा

विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ज़ोर दिया जाता है, जिसमें बच्चों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक कर प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से मुख्यतः सिलाई, कढ़ाई, कुर्सी बुनाई, मिट्टी एवं लकड़ी के खिलौने, चाबी के छल्ले, साबुन, सर्फ आदि का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है।



### 4. पोषाहार

बच्चों को प्रतिदिन राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पोषाहार- दूध बिस्किट दिया जाता है। यह क्रम साप्ताहिक चलता है। साथ ही विद्यालयों को मिड-डे मील योजना से भी जोड़कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार दिया जाता है।

### 5. मासिक मूल्यांकन

बाल श्रमिक विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर बच्चों का हर माह मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के प्रति कमजोरी पकड़ कर उन्हें उच्च शिक्षा के स्तर में बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही TLM सामग्री का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को 3 वर्ष में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करवा अगली छठी कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है।

### 6. राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियाँ

विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों के साथ-साथ महापुरुषों की जयन्तियाँ, बाल सप्ताह आदि मनाया जाता है। इनके माध्यम से महापुरुषों के जीवन में आई कठिनाइयों के बावजूद उनकी सफलताओं से बच्चों को अवगत कराते हुए उनसे प्रेरणा लेकर उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जाता है।

### 7. नियमित निरीक्षण

विद्यालयों का समय-समय पर परियोजना निदेशक, परियोजना फील्ड ऑफिसर, संस्थान प्रमुख गठित शिक्षा समिति, सरपंच एवं ग्रामीणों के साथ-साथ अन्य पंचायत समिति स्तर एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पोषाहार, अनुशासन एवं अध्यापकों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

### 8. जनश्री बीमा योजना से जुड़ाव

संस्थान द्वारा जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों का बीमा करवाया गया। इसमें 100 रुपये



प्रतिवर्ष प्रति बालक प्रीमियम देय है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार ये बच्चे सुरक्षित भी हैं।



## 9. स्टाइफण्ड

अध्ययनरत बाल श्रमिक बच्चों के लिए परियोजना द्वारा प्रतिमाह प्रति बच्चा 100 रुपये वज़ीफ़ा (स्टाइफण्ड) के रूप में बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में उन बच्चों के नाम खाता खुलवाकर राशि उनके खाते में जमा कराई जाती है। इस प्रकार परियोजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनकी आर्थिक मदद भी कर रही है।

## 10. खेलकूद

विद्यालयों में समय-समय पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, बोरी दौड़, रुमाल झपट्टा, ऊँची कूद, लम्बी कूद, दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताएं होती हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को संस्थान द्वारा उचित इनाम दिया जाता है।

## 11. रैलियाँ

बच्चों द्वारा ग्राम में समय-समय पर बाल श्रम विरोधी रैलियाँ, पल्स पोलियो रैली निकाली जाती हैं, जिसमें संस्थान स्टाफ व ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग रहता है।

आर.सी.डी. समाज सेवी संस्था, मदार से जुड़कर संस्था पिछले 10 वर्षों से विभिन्न विकासीय विषयों पर कार्य कर रही है, जिसमें शाम के समय बालबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाता है। इन केन्द्रों में 3-6 वर्ष व 6-14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे, जो कभी विद्यालय गए नहीं या जानवर चराने जाते हों, को संस्थान द्वारा शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। इन केन्द्रों पर प्रतिदिन बच्चों को तेल व दलिया पकाकर भोजन के रूप में दिया जाता है। इससे बच्चों के शारीरिक विकास में वृद्धि पाई गई। उक्त संस्थान द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु समय-समय पर विद्यालय स्टाफ (अध्यापकों) को विभिन्न प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

## ECDC सारणी

क्र. सं.	गाँव का नाम	कार्यक्रम का नाम	छात्र	छात्रा	योग
1.	ढाणी पुरोहितान	ECDC	24	13	37
2.	खायड़ा, भिनाय	ECDC	8	17	25
3.	सोलकला, भिनाय	ECDC	13	12	25
4.	पीपलिया, भिनाय	ECDC	11	14	25





## SF सारणी

क्र. सं.	गाँव का नाम	कार्यक्रम का नाम	छात्र	छात्रा	योग
1.	ढाणी पुरोहितान	SF	108	52	160
2.	दांता	SF	12	18	30
3.	शाला की ढाणी	SF	9	11	20

## सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम (SMCS)

सी.आर.एस. व आर.सी.डी. समाज सेवी संस्था, मदार के सहयोग से संस्था द्वारा विगत (सितम्बर, 2004) 3 वर्षों से भिनाय पंचायत समिति के बूबकिया व धातौल ग्राम पंचायत के 10 ग्रामों में सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अभी वर्तमान में 900 परिवार इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

### उद्देश्य :

स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार व सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय कर क्षेत्र की मातृ एवं शिशु मृत्यु दर न्यून करना।

### विभिन्न गतिविधियाँ एवं आयोजन

#### स्वास्थ्य शिक्षा

हर माह में 3 बार बैठकों एवं गृह भ्रमणों के दौरान गर्भवती महिलाओं को जल्दी से जल्दी ANM के पास पंजीकरण करवाने की सलाह दी जाती है। प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् खतरे एवं उनसे बचने के उपायों की जानकारी महिलाओं को दी जाती है। विभिन्न मौसमी और संक्रामक बीमारियों के बारे में ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर द्वारा जानकारी दी जाती है।





## ग्राम स्वास्थ्य कमेटी

परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव में एक स्वास्थ्य कमेटी बनाई गई है, जो SMCS परियोजना में संचालित सभी गतिविधियाँ एवं ग्राम के स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों पर आधारित चर्चा कर आवश्यक क़दम उठाती है। स्वास्थ्य कमेटी में संचालित सभी गतिविधियों में लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे- पोषाहार वितरण व टीकाकरण में सहयोग व अन्य सामुदायिक बैठकों का आयोजन आदि।

## टीकाकरण

गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को लगने वाले विभिन्न प्रकार के टीके BCG डोज़ पोलिया की खुराक DPT-I, DPT-II, DPT-III, टीका व पोलिया I, पोलिया II, पोलिया III की खुराक, खसरा, विटामिन-ए की नियमित डोज़ सम्बन्धी जानकारी व गर्भवती महिलाओं के 2 TT, 100 आयरन की गोली, 3 जाँच आदि के बारे में जानकारी गृह भ्रमण एवं विभिन्न बैठकों के माध्यम से दी जाती हैं। साथ ही स्थानीय ANM के साथ समन्वय स्थापित कर टीकाकरण व चिकित्सा सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाती है। आज ग्रामीण समाज में अन्धविश्वास के कारण ग्रामीण लोगों में टीकाकरण को लेकर अनेक भ्रान्तियाँ, जैसे टीका लगाने के बाद टीका पक जाना, बुखार आ जाना, गाँठ बन जाना विद्यमान आदि को दूर करने हेतु ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर द्वारा टीकाकरण के लाभ एवं फ़ायदों की जानकारी नुक्कड़ नाटक, खेल, कठपुतली आदि के माध्यम से दी जाती है। आज वर्तमान में नवजात शिशु व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण लोगों में टीकाकरण के प्रति व बच्चों की वे बीमारियाँ, जिनका टीकाकरण से बचाव किया जा सकता है, के बारे में जागरूकता आई है।

भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जिन बीमारियों को केन्द्रित किया गया है वे हैं- पोलिया, डिप्थीरिया (गलघोंटू), काली खाँसी, टिटनेस, तपेदिक (टी.बी.) व खसरा।







## दाई प्रशिक्षण व किट वितरण

परियोजनान्तर्गत बूबकिया व धातौल पंचायत के सभी 10 ग्रामों में से 10 महिलाओं को 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में गर्भवती महिलाओं की देखभाल व जच्चा बच्चा को प्रसव पूर्व व प्रसव बाद सुरक्षित कैसे रखा जाए की जानकारी दी गई। परिणामस्वरूप आज दाइयों ने इसमें दक्षता प्राप्त कर प्रसव की बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

## पोषाहार वितरण

SMCS कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं व 0 से 3 वर्ष के नवजात शिशुओं को पोषाहार के रूप में CRS अमेरिका के सहयोग से 1.5 किलोग्राम दलिया व 1 लीटर तेल प्रति सहभागी (लाभार्थी) को प्रतिमाह दिया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं को आवश्यक पौष्टिक आहार की पूर्ति हो सके और उसके पेट में पलने वाला शिशु स्वस्थ पैदा हो, साथ ही बच्चों में उनकी उम्र के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। पोषाहार वितरण सभी 10 ग्रामों में प्रतिमाह एक निश्चित तिथि व निश्चित समय पर किया जाता है।



## स्तनपान सप्ताह

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अगस्त माह में स्तनपान सप्ताह सभी 10 ग्रामों में मनाया गया। इसमें विभिन्न रैलियों एवं बैठकों के माध्यम से महिलाओं को जानकारी दी कि शिशु को माँ का अपना पहला दूध (कोलस्ट्रम) पिलाना चाहिए। माँ का प्रथम दूध 1 टीके के बराबर होता है और उसे प्रथम 6 माह तक शिशु को अवश्य पिलाना चाहिए। नवजात शिशु को न तो चीनी, न गुड़, न घुट्टी, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, बल्कि केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए।

1. पपेट शो, गीतों, कहानियों, नुक्कड़ नाटक व चित्रों के माध्यम से भी स्तनपान के महत्त्व के बारे में महिलाओं को समझाया जाता है।
2. समुदाय में स्तनपान से सम्बन्धित व्यास भ्रातियाँ जैसे प्रसव के बाद पहला दूध (खीस) देवता को भेंट करना या फैंक देना, माहवारी के समय दूध न पिलाना आदि के बारे में महिलाओं को जागृत करना।
3. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को व स्वास्थ्य कमेटी की बैठकों में भी स्तनपान के लाभ के बारे में समझाया जाता है।





## पोषाहार सप्ताह

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सितम्बर माह में पोषाहार सप्ताह मनाया गया। इसमें महिलाओं को पोषाहार सम्बन्धी जानकारी दी गई। महिलाओं को पौष्टिक आहार के नमूने बनाकर खिलाए गए, जिसमें सभी प्रकार के पोषाहार दाल, चावल, दलिया, आलू, जलजीरा, आलू की टिकिया आदि बनाकर खिलाई गई। स्वास्थ्य एवं पोषाहार प्रशिक्षण सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम का एक घटक है। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के अन्तर्गत महिलाओं को व्यावहारिक जानकारी देकर इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार ला सके।

## एड्स सप्ताह का आयोजन

दिसम्बर माह में बूबकिया व धातौल पंचायत के सभी 10 ग्रामों में HIV/AIDS सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें गाँव की महिलाओं व पुरुषों को एड्स के बारे में जानकारी दी गई, जैसे-

1. सुरक्षित यौन सम्बन्ध ही करना चाहिए।
2. खून की आवश्यकता पड़ने पर खून जाँच करने के बाद ही लेना चाहिए, खून किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
3. काम में लिया गया इन्जेक्शन दुबारा प्रयोग में नहीं लेना चाहिये व ANM बहनजी को इन्जेक्शन लगाते समय नई सूई ही प्रयोग में लेने को कहें।
4. HIV से ग्रसित महिला को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। अगर वह गर्भधारण करती है तो उसका बच्चा भी HIV ग्रसित हो सकता है। बच्चे को रोग से बचाने के लिए निरन्तर डॉक्टर से सम्पर्क रखना चाहिए।
5. पलायन के समय अनैतिक सम्बन्ध नहीं बनाना चाहिए। यदि सम्बन्ध बनाते हैं तो निरोध का प्रयोग करना चाहिए।

## सामुदायिक स्वास्थ्य बैठकों का आयोजन

सामुदायिक स्वास्थ्य बैठकों का आयोजन प्रतिमाह किया जाता है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों को स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्न जानकारियों से अवगत कराया जाता है-

1. मौसमी बीमारियों की जानकारी व बचाव के तरीके।
2. ANM को स्वास्थ्य बैठकों में बुलाकर नवीन जानकारियों से ग्रामीणों को अवगत कराना।
3. ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा भी गाँव में होने वाली बीमारियों का पता लगाकर उसकी रोकथाम पर चर्चा की गई।
4. स्वास्थ्य समन्वयक एवं सुपरवाइजर द्वारा महिला व पुरुषों को स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियों को उदाहरणों द्वारा समझाया गया। इसके परिणामस्वरूप गाँव के आस-पास साफ-सफ़ाई तथा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही में कमी आई है एवं कई गाँवों में लोगों ने सोखा गड्डे भी बना लिये हैं।







## पल्स पोलियो अभियान

परियोजना के अन्तर्गत दोनों पंचायत के 10 ग्रामों में जब जब भी सरकार द्वारा पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है, उसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुपरवाइजर आदि के द्वारा गाँव में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने में सहयोग दिया जाता है। इसके लिए घर-घर जाकर महिलाओं व पुरुषों को समझाया जाता है व पोलियो की खुराक पिलाई जाती है।



## स्वास्थ्य चेतना रथ यात्रा में सहयोग

11 दिसम्बर, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 तक राजस्थान सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य चेतना रैली निकाली गई। इस परियोजनान्तर्गत बूबकिया व धातौल पंचायत में भी कैम्प का आयोजन किया व संस्थान कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, स्वास्थ्य समन्वयक द्वारा घर-घर जाकर सभी को रैली व हैल्थ कैम्प के बारे में बताया गया कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो हमें हैल्थ कैम्प में जाकर अपनी बीमारियों का चैक-अप व इलाज करा योजना से लाभ उठाना है। परिणामस्वरूप गाँव में सभी ने इसका भरपूर फायदा उठाया।

## ग्रोध मोनिटरिंग

वृद्धि अनुश्रवण से आशय है जन्म से लेकर दो या 3 वर्ष की आयु तक के बच्चे का वजन लेना तथा वृद्धि ग्राफ़ पर उसे अंकित करना व बच्चे के पोषण स्तर को सुधारने के लिए माता को परामर्श दिया जाता है। अगर किसी बच्चे अथवा महिला में वजन कम पाया जाता है तो उसे आवश्यक पोषण एवं स्वास्थ्य वर्द्धक गोलियाँ दी जाती हैं एवं गृह भ्रमण कर उन्हें डाक्टर से सलाह लेने हेतु प्रेरित किया जाता है।

## प्रसव पूर्व एवं पश्चात् सेवाएं

प्रसव पूर्व देखभाल का प्रारम्भिक उद्देश्य है, प्रसव के बाद स्वस्थ माता तथा स्वस्थ शिशु। यह देखभाल गर्भवती के साथ ही शुरू हो जाती है, जिसमें निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं-

1. गर्भावस्था के दौरान कम-से-कम तीन प्रसव पूर्व जाँच।
2. टिटनेस टॉक्साइड के दो टीके, टिटनेस का पहला टीका गर्भावस्था का पता चलते ही व दूसरा टीका एक माह के बाद ही लगाया जाता है।
3. खून की कमी (एनीमिया) से बचाव के लिए आयरन फोलिक एसिड की 90 से 100 गोलियाँ गर्भवती को दी जाती हैं।
4. प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा सुरक्षित प्रसव की तैयारी।
5. यथाशीघ्र गर्भवती का पंजीकरण किया जाता है। गर्भवती महिला को माता एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड वितरित



किए जाते हैं।

6. सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने की सलाह
7. जन्म वजन व 0 से 3 वर्ष तक वजन कराना।
8. माँ का प्रथम दूध व 6 माह तक केवल माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। 6 माह बाद ऊपरी आहार की सलाह।
9. 0 से 1 वर्ष के बीच सम्पूर्ण टीकाकरण कराने की सलाह।

### निम्न सारणी अनुसार परियोजना द्वारा सहभागियों को लाभान्वित किया जाता है।

परियोजना का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या	कुल परिवार	परियोजना में कुल सहभागी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	दाई
सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम	भिनाय	1. बूबकिया	1. बूबकिया	1246	203	80	मैना देवी	लाली देवी
			2. रेण	635	90	50	मैना देवी	थैली देवी
			3. सोलकला	576	86	44	ऊमी देवी	ऊमी देवी
			4. सोलखुर्द	465	65	37	ऊमी देवी	मुन्नी देवी
			5. खायड़ा	1059	184	60	निर्मला देवी	नन्दू देवी
			6. पीपलिया	817	153	51	गीता देवी	पारसी देवी
		2. धातौल	1. धातौल	1265	180	83	सीता देवी	-
			2. उदयगढ़ खेड़ा	1408	205	99	सीमा देवी	-
			3. हीरापुरा	1295	185	100	पारसी देवी	ऐजी देवी
			4. गुजरवाड़ा	809	85	54	पारसी देवी	ऐजी देवी

## आपदा प्रबन्धन परियोजना

### पृष्ठभूमि

आपदा प्रबन्धन परियोजना अजमेर ज़िले के बूबकिया ग्राम पंचायत के खायड़ा एवं सोलकला ग्राम में संचालित है। दोनों ही गाँव अजमेर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस क्षेत्र में मिट्टी कटाव, निम्न भू-जल, पेयजल का अभाव, फ्लोराइड पानी, बेरोज़गारी, शिक्षा की कमी, अपर्याप्त पैदावार आदि प्रमुख समस्याएं हैं। ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा वर्ष 2006-07 के जून माह में वर्षा जल के सदुपयोग हेतु विभिन्न प्रशिक्षण व एनीकट मरम्मत कार्य करवाया गया। क्षेत्र में मुख्यतः जाट, गुर्जर, भील, बैरवा, चारण, खाती, लोहार, कुम्हार, नाई आदि जाति के लोग निवास करते हैं। कुल परिवार संख्या 270 है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित है। सर्वे के आधार पर कुल जनसंख्या 1535 आंकी गई। क्षेत्र में एक प्राथमिक व एक उच्च प्राथमिक





विद्यालय स्थित है तथा उच्च शिक्षा हेतु 12 किलोमीटर दूर भिनाय जाना पड़ता है। दोनों गाँवों में 4 हैण्डपम्प व 4 कुएं हैं, जिनका पानी पीने के उपयोग में लिया जाता है।

क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है व मुख्य फसलें मानसून काल में गेहूँ, जौ, कपास, जीरा, सरसों, चना आदि सीमान्त एवं लघु किसानों द्वारा पैदा की जाती हैं। सी.आर.एस. व आर.सी.डी. समाज सेवी संस्था, मदार के सहयोग से आपदा प्रबन्धन परियोजना स्वीकृत हुई। परियोजना में मुख्य रूप से समुदाय कि क्षमतावर्द्धन गतिविधियाँ- प्रशिक्षण, भ्रमण, ग्राम विकास कमेटी गठन, जल स्रोतों की मरम्मत, महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूह, चरागाह विकास हेतु माइक्रोप्लान, पशुधन, नस्ल सुधार व नवीन कृषि तकनीकी हेतु जन जागृति कार्यक्रम, नवीन योजनाओं की जानकारी व उनसे जुड़ाव प्रेरित करना आदि कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें संस्था द्वारा सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा रहा है।

### परियोजना सारणी

परियोजना का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या	कुल परिवार
आपदा प्रबन्धन परियोजना	भिनाय	बूबकिया	1. खायड़ा	1059	184
			2. सोलकला	476	86

### परियोजना क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं

1. लगातार भूमिगत जल गिरावट
2. अपर्याप्त पैदावार
3. क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का अभाव
4. पलायन
5. वर्षा जल के प्रबन्धन का अभाव
6. चारे व अनाज का अभाव
7. सामाजिक कुरीतियाँ



### परियोजना के उद्देश्य

- लक्षित समुदाय हेतु वर्षा जल का संग्रहण कर, घरेलू एवं कृषि योग्य जल में वृद्धि करना।
- लक्षित समुदाय उन्नत नस्ल पशुपालन व उन्नत कृषि तकनीकी को अपनाएं।
- लक्षित समुदाय सरकारी एवं अन्य संस्थागत जुड़ाव के माध्यम से अकाल के प्रभाव को कम करने में सक्षम हों।



# परियोजना की प्रमुख गतिविधियाँ



## विभिन्न सामाजिक संगठनों का गठन

परियोजना द्वारा ग्राम स्तरीय मुद्दों को हल करने हेतु ग्राम विकास समिति (VDC), उपलब्ध जल के बेहतर प्रबन्धन हेतु जल वितरण समिति एवं अपनी आवश्यकता पूर्ति एवं आय सृजन गतिविधियों से जोड़ने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करना।

## सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण

विभिन्न विभागों द्वारा कृषकों को देय सुविधा की जानकारी उपलब्ध कराने एवं उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

## उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी

खेती को बढ़ावा देने एवं भरपूर पैदावार उपलब्ध होने के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताने हेतु विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करना एवं उन्नत बीजों का वितरण सुनिश्चित करना।



## सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

लोगों को बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल आदि का महत्त्व बताने, भूमि के कटाव को रोकने, उन्नत कृषि तकनीकी, पशुधन, नस्ल सुधार हेतु जागृत करने एवं अन्धविश्वास, बाल-विवाह, मृत्युभोज से दूर रहने नुक्कड़ नाटकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना।

## ग्राम सूचना केन्द्र

ग्रामवासियों को विभिन्न योजनाओं से जुड़ अधिक से अधिक लाभान्वित होने व योजनाओं की जानकारी ग्राम स्तर पर ही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम सूचना केन्द्रों का गठन करना, जिनमें विभिन्न फार्म, समाचार-पत्र एवं नवीन जानकारी के माध्यम से देश दुनिया से जुड़े रहने हेतु रेडियो, विभिन्न विभागों की पत्र पत्रिकाएं आदि का समावेश सुनिश्चित करना।

## विभिन्न बैठकों का आयोजन

परियोजना एवं ग्राम से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा एवं ग्राम सभा में अपनी बात पहुंचाने हेतु मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर बैठकें कर चर्चा के दौरान आये मुद्दों एवं समस्याओं के समाधान पर विचार-विमर्श किया जाता है एवं सूक्ष्म कार्य योजना तैयार कर इनसे निजात पाने हेतु प्रयास किये जाते हैं।





## पेयजल संसाधनों की मरम्मत एवं चरागाह विकास

उपलब्ध पेयजल संसाधनों का छोटे स्तर पर मरम्मत करवाना, जिससे पानी को रोककर उपलब्ध पानी को बेहतर प्रबन्धन द्वारा अधिक उपयोग में लिया जा सके, साथ ही चरागाह भूमि पर भी घास लगाकर बेहतर प्रबन्धन व्यवस्था के माध्यम से चरागाह विकास सुनिश्चित कर उसको अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

## शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन

परियोजना उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने एवं अन्य जगहों पर हुए अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेकर उसे अपने यहाँ भी क्रियान्वित करने हेतु बेहतर समझ बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन भी परियोजना की विशेषता है।

## वर्मी कम्पोस्ट

भ्रमण से ही प्रेरित होकर दोनों गाँवों में कट्स, जयपुर के सहयोग से 8 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगवाई गई।

## न्यायोचित व्यापार अभियान

विश्व व्यापार संगठन की वे नीतियाँ, जिनसे भारत जैसे विकासशील देश के गरीब कृषकों और इनसे जुड़े लोगों की आजीविका के लिए संकट उत्पन्न हो गया है, के विरोध में न्यायोचित व्यापार अभियान संस्थान द्वारा अन्य चार साथी संस्थाओं के साथ दिनांक 31 मार्च, 2007 को चलाया गया। इसमें ब्लॉक स्तरीय विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य संस्था प्रतिनिधियों व जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए लगभग 250 कृषकों ने भागीदारी निभाई।

इस अभियान हेतु आयोजित सभा में चर्चा के मुख्य बिन्दु, सरकार को अनुदान की राशि बढ़ाना, किसानों को कृषि सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान देना तथा आयात शुल्क में बढ़ोतरी करना, रहे। इन मुद्दों के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं पर भी सहमति भी जताई गई—

- सरकार विदेशी पाम ऑयल पर आयात दरें बढ़ाए ताकि राज्य की सरसों उचित दर पर बिक सके।
- सरकार कृषि क्षेत्र में अनुदान बढ़ाए।
- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि व्यापार सम्बन्धी नीतिगत निर्णयों में किसानों को जोड़ा जाए।
- विभिन्न समझौतों में किसानों के हितों की सौदेबाजी नहीं की जाए।

## राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2006-07

पिछले 6 वर्षों से लगातार संस्था द्वारा वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय, भारत सरकार के सहयोग से अलग-अलग गाँवों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के क्रम में शिविर एवं बैठकों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती रही हैं।



पूर्व की भांति इस वर्ष भी कट्स, जयपुर के मार्ग-दर्शन में 'ठोस कचरा प्रबन्धन' विषय पर ग्राम पंचायत बूबकिया के ग्राम खायड़ा में 23 मार्च, 2007 व ग्राम सोलकला में 27 मार्च, 2007 तक शिविरों का आयोजन कर इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियाँ दी गईं। इसके अन्तर्गत घरों से निकलने वाला कचरा, औद्योगिक कचरा, जैविक दवाइयाँ या अस्पताल से निकला कचरा उक्त तीनों प्रकार के कचरों का किस प्रकार समुचित दोहन कर पर्यावरण को बचाया जा सकता है एवं इसके प्रयोग से वर्मी कम्पोस्ट आदि बनाने की विधि एवं इसके फ़ायदों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गईं एवं इससे सम्बन्धित पुस्तकें एवं पेमप्लेट आदि वितरित किए गए।



## लघुवित्त एवं आजीविका प्रोन्नत कार्यक्रम

अरावली, जयपुर के सहयोग से संस्था कार्यक्षेत्रों में समूह माध्यम से महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRIT) द्वारा पोषित लघुवित्त एवं आजीविका प्रोन्नत परियोजना संस्था द्वारा संचालित है। इसमें प्रथम वर्ष में 96 समूहों के साथ काम करने का लक्ष्य निर्धारित है व इसके अलावा तीन वर्षों के परियोजना कार्यकाल में लगभग तीन सौ समूहों को योजनावार जोड़ करीब 3200 परिवारों के साथ कार्य करना प्रस्तावित है। परियोजना से जुड़ी महिलाएं समूह माध्यम से न केवल सशक्त बनें, बल्कि उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित की जा सके, इस बिन्दु पर विशेष बल देते हुए परियोजना अन्त तक कम-से-कम 1000 परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ना व परियोजना सम्पादन में आए विभिन्न व्ययों के कुछ भाग की प्रतिपूर्ति रेवेन्यू मॉडल अपनाकर करना इस परियोजना का मुख्य आकर्षण है।



इस परियोजना में समान गतिविधियों वाले समूहों की समितियों का गठन भी किया जाएगा व बाद में इन समितियों के आधार पर संघों का निर्माण किया जाना है, जिससे समूहों को एक बड़ा मंच प्राप्त हो सके व उनकी गतिविधियों को अधिक गति व बल मिलना सुनिश्चित हो सके।

### संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

- जल चेतना, स्वास्थ्य चेतना, कृषि योजना, आपके द्वार, पल्स पोलिया आदि सरकारी अभियानों में अहम





भूमिका निभाना। ● आपसी विवादों का स्थानीय स्तर पर निपटारा सुनिश्चित करना। ● सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग करना। ● अकाल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को लगातार रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक सम्बल प्रदान करना। ● ग्राम विकास कमेटी, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान क्लब आदि संगठनों का निर्माण। ● मेड़बन्दी, चरागाह विकास, नाड़ी निर्माण के द्वारा कृषि पैदावार में वृद्धि। ● टांका निर्माण द्वारा पानी की आवक में बढ़ोतरी एवं जल स्तर में सुधार। ● बाल श्रमिक उन्मूलन एवं उनका शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव एवं मासिक स्टार्डिफण्ड उपलब्ध कराना। ● बेहतर पशुपालन को बढ़ावा एवं नस्ल सुधार। ● उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग में बढ़ावा एवं बेहतर पैदावार। ● साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज प्राप्त करने से छुटकारा दिलाने के लिए अधिक से अधिक महिला समूहों की स्थापना एवं कम ब्याज दर पर बैंक से जोड़ना। ● सुरक्षित प्रसव एवं शिशु मृत्यु दर में कमी। ● बालक बालिकाओं को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित करना। ● सोशल मोबेलाइजेशन परियोजना द्वारा रिवाॉल्विंग फण्ड उपलब्ध करवाकर महिलाओं को रोजगारपरक गतिविधियों से जोड़ना। ● किसान क्लब एवं समूह संघ जैसे बड़े मंचों का गठन।

### संस्था की भावी सोच

- रोजगार की नियमितता। ● मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ाना। ● वन संरक्षण एवं पर्यावरण चेतना में जागरुकता लाना। ● जैविक खाद के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करना व शेड निर्माण। ● पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करना। ● उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी देना व अपनाने हेतु प्रेरित करना। ● बाल श्रम उन्मूलन एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा। ● बाल विवाह, मृत्यु भोज आदि के खिलाफ लोगों को जागरुक करना। ● अकाल की विभीषिका से बचाव के स्थाई उपाय सुनिश्चित करना। ● पशु संरक्षण एवं नस्ल सुधार हेतु जागरुकता पैदा करना। ● महिलाओं को प्राकृतिक संसाधनों के उपयुक्त दोहन द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में उपाय। ● महिला संगठनों एवं किसान क्लबों का गठन करना। ● जल संरक्षण कार्यों को अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाना।

### सहयोगी संस्थायें

1. कपार्ट, जयपुर
2. नाबार्ड, जयपुर
3. अरावली, जयपुर
4. कट्स, जयपुर
5. ज़िला परिषद्, अजमेर
6. सी. आर. एस., जयपुर
7. यू. एन. डी. पी., नई दिल्ली
8. श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
9. सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई
10. वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
11. कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी (अजमेर)
12. राजस्थान महिला कल्याण मण्डल, अजमेर
13. आर. सी. डी. समाज सेवी संस्था, मदार (अजमेर)
14. कृषि ज्ञान केन्द्र, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, गगवाना, अजमेर
15. क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, अजमेर



## संस्थान कार्यक्षेत्र 2006-07



क्र.	गाँव का नाम	परिवार संख्या	कुल जनसंख्या	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति
1.	श्रीनगर	2139	12834	श्रीनगर	श्रीनगर
2.	गेगल	425	2979	गेगल	श्रीनगर
3.	आखरी	156	1095	गेगल	श्रीनगर
4.	चाँदियावास	155	1085	गेगल	श्रीनगर
5.	दांता	148	1036	गेगल	श्रीनगर
6.	मुहामी	450	3365	बूबानी	श्रीनगर
7.	बूबानी	548	3240	बूबानी	श्रीनगर
8.	भूडोल	800	5045	भूडोल	श्रीनगर
9.	गोडियावास	188	1156	गोडियावास	श्रीनगर
10.	नौलखा	325	2275	गोडियावास	श्रीनगर
11.	सराणा	430	3015	ऊँटड़ा	श्रीनगर
12.	ऊँटड़ा	650	3578	ऊँटड़ा	श्रीनगर
13.	ठिठाणा	60	418	नरवर	श्रीनगर
14.	निम्बूकिया	65	446	नरवर	श्रीनगर
15.	गगवाना	1000	6328	गगवाना	श्रीनगर
16.	कायमपुरा	160	865	कायमपुरा	श्रीनगर
17.	गुवारड़ी	110	724	रसूलपुरा	श्रीनगर
18.	बडल्या	230	1618	बडल्या	श्रीनगर
19.	बलवन्ता	418	2926	दांता	श्रीनगर
20.	सणोद	547	3814	सणोद	श्रीनगर
21.	तिलाना	627	4289	तिलाना	श्रीनगर
22.	कुराड़ी	153	1069	तिलाना	श्रीनगर
23.	चान्दसेन	129	907	तिलाना	श्रीनगर
24.	नवाब	165	1132	तिलाना	श्रीनगर
25.	तिहारी	254	1709	तिहारी	श्रीनगर
26.	ढाणी पुरोहितान	408	2856	मालियों की बाड़ी	सिलोरा
27.	नारेली	400	2011	नारेली	श्रीनगर
28.	गुढ़ा	175	1175	गोडियावास	श्रीनगर
29.	खोड़ा गणेश	208	1414	बूबानी	श्रीनगर
30.	शाल की ढाणी	93	640	बूबानी	श्रीनगर
31.	जाटली	154	1058	गेगल	श्रीनगर
32.	खायड़ा	184	1059	बूबकिया	भिनाय
33.	पीपलिया	153	817	बूबकिया	भिनाय
34.	सोलकला	86	576	बूबकिया	भिनाय
35.	सोलखुर्द	65	465	बूबकिया	भिनाय
36.	बूबकिया	203	1246	बूबकिया	भिनाय
37.	रेण	90	635	बूबकिया	भिनाय
38.	हीरापुरा	185	1295	धातौल	भिनाय
39.	गुजरवाड़ा	85	809	धातौल	भिनाय
40.	धातौल	180	1265	धातौल	भिनाय
41.	उदयखेड़ा	205	1408	धातौल	भिनाय
	<b>कुल</b>	<b>13206</b>	<b>85677</b>		





## संस्थान के वर्तमान कार्यकर्तागण

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	कार्यानुभव
1.	शंकर सिंह रावत	निदेशक	10 वर्ष
2.	आशीष कुमार तिवारी	कार्यक्रम अधिकारी	3 वर्ष
3.	श्रेया त्रिपाठी	कार्यक्रम अधिकारी	1 वर्ष
4.	सियाराम पूनियां	कार्यक्रम अधिकारी	1 वर्ष
5.	शम्भू सिंह रावत	समन्वयक	9 वर्ष
6.	संदीप जैन	वरिष्ठ लेखाकार	4 वर्ष
7.	तेजाराम मेघवंशी	परियोजना अधिकारी (SMP)	9 वर्ष
8.	विजय सिंह रावत	परियोजना अधिकारी (NCLP)	7 वर्ष
9.	अनिल कुमार कलोसिया	परियोजना अधिकारी (SMCS)	4 वर्ष
10.	रणजीत जाट	परियोजना अधिकारी (DMP)	3 वर्ष
11.	बनवारी लाल शर्मा	परियोजना अधिकारी (MFP)	5 वर्ष
12.	फारूख मोहम्मद	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1 वर्ष
13.	गागू सिंह रावत	SHG सुपरवाइजर	5 वर्ष
14.	सीताराम शर्मा	SHG सुपरवाइजर	2 वर्ष
15.	आशा वर्मा	SHG सुपरवाइजर	5 वर्ष
16.	कैलाश चन्द्र	प्रधानाध्यापक, मुहामी	2 वर्ष
17.	महावीर सिंह रावत	प्रधानाध्यापक, नीलखा	2 वर्ष
18.	मोहनलाल	प्रधानाध्यापक, किशनगढ़	2 वर्ष
19.	महावीर सिंह	प्रधानाध्यापक, गेगल	2 वर्ष
20.	रणजीत सिंह	अध्यापक (NCLP)	2 वर्ष
21.	महावीर खटोक	अध्यापक (NCLP)	2 वर्ष
22.	सुरेश चन्द राठी	अध्यापक (NCLP)	1 वर्ष
23.	राधेश्याम मेघवंशी	अध्यापक (NCLP)	2 वर्ष
24.	गवरीनन्दन देतवाल	व्यवसायिक अध्यापक	3 वर्ष
25.	हेमलता अप्पुवा	व्यवसायिक अध्यापक	2 वर्ष
26.	सुनीता रावत	व्यवसायिक अध्यापक	5 वर्ष
27.	घनश्याम सदावत	व्यवसायिक अध्यापक	6 वर्ष
28.	नीरा सिंह	लेखाकार (NCLP)	2 वर्ष
29.	ज्ञान सिंह रावत	लेखाकार (NCLP)	3 वर्ष
30.	श्रीमती अनिता माथुर	सहायिका	5 वर्ष
31.	कमला देवी	विद्यालय सहायिका	2 वर्ष
32.	मुन्नी देवी रावत	विद्यालय सहायिका	2 वर्ष
33.	रुकमा देवी	विद्यालय सहायिका	1 वर्ष
34.	रामेश्वरी देवी मेघवंशी	विद्यालय सहायिका	2 वर्ष
35.	लाली देवी वैष्णव	कार्यालय सहायिका	3 वर्ष
36.	मैना देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3 वर्ष
37.	निमला देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3 वर्ष
38.	सीमा देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3 वर्ष
39.	गीता देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3 वर्ष
40.	पारसी देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3 वर्ष
41.	सीता देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3 वर्ष
42.	ऊमी देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3 वर्ष



# Financial Statement

## A bridged Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2007



EXPENDITURE	Amount	INCOME	Amount
Contingencies	1599252.84	<u>Grants, Contributions</u>	1628008.36
Gramin Mahila Vikas San	115335.48	<u>and Misc Income</u>	
C.R.S. and R.C.D	128789.00	Gramin Mahila Vikas San	137981.00
Child Labours Project	428692.00	C.R.S and R.C.D.	130497.00
Drought Management	65576.36	Child Labours Project	373470.00
SRTT	33933.00	Drought Management	39670.00
UNDP Social Mabilisation	<u>826927.00</u>	SRTT	39670.00
		UNDP Social Mabilisation	<u>880814.00</u>
Depriciation	39656.00	Deficit	10900.48
<b>Total</b>	<b>1638908.84</b>	<b>Total</b>	<b>1638908.84</b>

PLACE AJMER GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

SUNIL NIGAM AND ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS

DATE 18.5.2007 CHAIRMAN SECRETARY

SUNIL NIGAM  
PROPRIETOR

## A bridged Balance Sheet -As on 31st March 2007

LIABILITIES	Amount	ASSETS	Amount
Capital Fund	429655.93	<u>Fixed Assets</u>	427533.00
Loans	257281.48	Openin Balance	353854.00
		Add Purchase	<u>113335.00</u>
			467189.00
		Les Dep	<u>39656.00</u>
			259404.41
		<u>Closing Balance</u>	
		Cash in Hand	104016.41
		Cash in Bank	<u>155388.00</u>
<b>Total</b>	<b>686937.41</b>	<b>Total</b>	<b>686937.41</b>

PLACE AJMER GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

SUNIL NIGAM AND ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS

DATE 18.5.2007 CHAIRMAN SECRETARY

SUNIL NIGAM  
PROPRIETOR







# कार्यक्षेत्र मानचित्र


INDIA भारत



राजस्थान



जिला-अजमेर





संस्थान की वर्तमान कार्यकारिणी




क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	पूर्ण पता	पद	
1.	श्री अनिलकुमार माथुर पुत्र स्व. श्री देवीलाल माथुर	म. नं. बी-510, पंचशील यू.आई.टी. कॉलोनी, माकंडवाली रोड, अजमेर	अध्यक्ष	
2.	श्री दीनदयाल शर्मा पुत्र स्व. श्री मूलचन्द शर्मा	85, पुरानी मण्डी, अजमेर	उपाध्यक्ष	
3.	श्री शंकरसिंह रावत पुत्र श्री श्योजीसिंह रावत	गांव-दांता, पो. गोगल वाया-गगवाना, जिला-अजमेर	सचिव	
4.	श्री शम्भूसिंह रावत पुत्र श्री भैरूसिंह रावत	मु. पो. बूबानी, वाया-गगवाना, जिला-अजमेर (राज.)	कोषाध्यक्ष	
5.	श्रीमती अरूणादेवी पत्नी श्री राधेश्याम बोराणा	मु. पो.-लाडपुरा, जिला-अजमेर	कार्यकारिणी सदस्य	
6.	श्रीमती सरस्वती भाट पत्नी श्री विक्रम भाट	मु. पो. गोवल्या, वाया पुष्कर जिला-अजमेर	कार्यकारिणी सदस्य	
7.	श्रीमती भाणीदेवी पत्नी श्री नानूसिंह	मु. पो. बूबानी, वाया-गगवाना जिला-अजमेर (राज.)	कार्यकारिणी सदस्य	
8.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री किशनलाल	मु. पो.-गोडियावास, वाया-गगवाना, जिला-अजमेर (राज.)	कार्यकारिणी सदस्य	
9.	श्रीमती रतना देवी पत्नी श्री जतनसिंह रावत	गांव-गुवारडी पो.-लाडपुरा, अजमेर (राज.)	कार्यकारिणी सदस्य	





# GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN, KISHANGARH

## Organisational Structure





# झलकियां



RCDSSS से श्री शैतान सिंह ग्राम सूचना केन्द्र के उद्घाटन अवसर पर ग्रामवासियों को सम्बोधित करते हुए साथ में संस्थान के पदाधिकारीगण



अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करती महिलाएं।



श्री अनिल क्लोसिया संस्थान परियोजना अधिकारी SMCS कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी महिला से सूचनाएँ एकत्र करते हुए।



संस्था सहयोग से संचालित नवोदय विद्यालय के छात्र-छात्राओं को खेल के माध्यम से विज्ञान की जानकारी देते प्रधानाध्यापक श्री रामदयाल चौधरी।




DMP परियोजनार्तगत एनीकट मरम्मत कार्य अवलोकित करते संस्था प्रतिनिधि श्री रणजीत जाट।



श्री अनिल क्लोसिया सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को जानकारी प्रदान करते हुए।



DMP परियोजनार्तगत आयोजित शैक्षणिक भ्रमण के दौरान जल संग्रहण हेतु पके टांके को अवलोकित करते ग्रामवासी।



संस्थान परिवार के प्रमुख कार्यकर्तागण।





## ग्रामीण महिला विकास संस्थान

### मुख्य कार्यालय

पटाखा फेक्ट्री के पास, राजारेडी  
मदनगंज, किशनगढ़-305801  
जिला -अजमेर (राजस्थान) भारत  
फोन : +91-1463-516005

ई मेल : reachgmvs@gmail.com  
ई मेल : gramimahilavikas@yahoo.co.in

### क्षेत्रीय कार्यालय

मु. पो. - भिनाय  
जिला -अजमेर (राजस्थान) भारत  
सम्पर्क : 9928626507

### पंजीयन कार्यालय

मु. पो. - बूवानी  
बाया - गगवाना-305023  
जिला -अजमेर (राजस्थान) भारत  
फोन : +91-145-2300609